संख्या:-97/2016/2811/33-3-2016-03/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 28 नवम्बर, 2016**

विषय: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक-31 जुलाई, 2015 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक-31 जुलाई, 2015 के प्रस्तर-6 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-

प्रस्तर-6 की वर्तमान व्यवस्था-

क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रख-रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यो/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यो पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in

2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर-6 की व्यवस्था को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

<u>प्रस्तर-6 की संशोधित व्यवस्था :-</u>

क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशुचिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रख-रखाव पर अवश्य किया जाय। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कार्ययोजना का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत की बैठक में कराया जायेगा। कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्यो का प्राक्कलन का अनुमोदन एवं कार्य का अनुमोदन निम्न व्यवस्थानुसार कराया जायेगा:-

(क) रू0-10,00,000/- तक क्षेत्र पंचायत द्वारा

(ख) रू0-10,00,000/- से ऊपर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक 31.07.2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 31.07.2015 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें।

अत: अनुरोध है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।।
2. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

shasanadesh.up.nic.in

4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ0प्र0।

आज्ञा से

(विनोद कुमार)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.nic.in